[2020] 9 एस. सी. आर. 455

हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड

वी.

मध्य प्रदेश का राज्य

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 715)

05 नवंबर, 2020

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 - धारा 17-खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 - धारा 97-सामान्य खंड अधिनियम, 1897 - एस. 6-दलदा के संबंध में 07.02.1989 पर लिए गए नमूने के आधार पर खाद्य और स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी।

कंपनी द्वारा निर्मित वनस्पति खजुर ब्रांड का घी

उक्त कार्यवाही का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर. बनर्जी और अन्य मामलों में किया गया था। वी. एच. डी. दुबे और अन्य। , जिसमें मामले को इस सवाल की जांच करने के लिए ट्रायल मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया गया था कि क्या नामांकन आवेदनकर्ता और एक अन्य व्यक्ति को नामित करता है स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त और स्वीकार किए गए थे उक्त निर्देशों के संदर्भ में, निचली अदालत ने कंपनी के निदेशकों को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया और अभियोजन पक्ष को अपीलकर्ता/नामित अधिकारी के खिलाफ जारी रखने का आदेश दिया गया-इसके बाद, 2015 में निचली अदालत ने अपीलकर्ता को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

1954 के अधिनियम के प्रावधान-किसी भी अपराध के लिए कंपनी को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था-एक अपील में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की, हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि कंपनी

- यदि आरोपों से बरी कर दिया जाता है, तो उक्त लाभ भी सीधे अपीलार्थी को जाएगा-इस प्रकार, उसके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा पारित की जाती है।

अपीलार्थी, कंपनी का एक नामित व्यक्ति होने के नाते, अलग कर दिया गया था और मामला नया निर्णय पारित करने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया था-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लाभ की मांग की, जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 के निरस्त होने के बाद आया थाः 2006 के अधिनियम में, निरसन और बचत खंड एस में निहित है। 97 (1) ((iii) और (iv) विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि अधिनियम का निरसन किसी भी ऐसे दंड, ज़ब्त या दंड के संबंध में किसी भी जांच या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और दंड लगाया जा सकता है।

यदि 2006 का अधिनियम पारित नहीं किया गया था "-इस प्रकार, एस को देखते हुए। 97 2006 के अधिनियम के साथ-साथ यू / सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के अनुसार, 1954 के अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रहेगी-2006 के अधिनियम के तहत कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि 1954 के अधिनियम के तहत अभियोजन और सजा संरक्षित है-जहां तक इसके द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम का संबंध है।

मामले को विचारण न्यायालय को भेजने के लिए उच्च न्यायालय का संबंध है, एस के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। 141 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1882 और एस। 17 1954 अधिनियम जो कंपनियों के साथ-साथ नामित व्यक्ति को अपराधों का दोषी ठहराता है और/या कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनाता है और तदनुसार दंडित करता है-धाराओं के खंड (ए) और (बी) 17 वैकल्पिक रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप से हैं इसलिए, कंपनी की अनुपस्थिति में, नामित व्यक्ति दोषी नहीं ठहराया जा सकता है या इसके विपरीत-चूंकि कंपनी को निचली अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था, इसलिए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अपीलार्थी/नामित व्यक्ति के लिए अनुचित होगा जो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से मुकदमे का सामना कर रहा है। निचली अदालत द्वारा कंपनी को दोषी ठहराने में विफलता नामित व्यक्ति की पूरी दोषसिद्धि को अस्थिर बनाती है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

इस तरह के किसी भी दंड के संबंध में, ज़ब्त या सजा और सजा लगाई जा सकती है, जैसे कि 2006 के अधिनियम में ऐसा नहीं किया गया था। पास हो गया "। [पैरा 15] [465-ई-जी]

2. इस प्रकार, 2006 के अधिनियम की धारा 97 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के तहत भी, कार्यवाही

अधिनियम के तहत जारी रहेगा। 2006 के अधिनियम के तहत कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अधिनियम के तहत अभियोजन और सजा संरक्षित है।

[पैरा 17] [466-सी-डी] हिन्दुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड वी। मध्य प्रदेश का राज्य

30 साल से अधिक समय के बाद उस दोष को ठीक करना, जो मुकदमे की जड़ तक जाता है, हालांकि कानून में अनुमेय है, उचित है। [पैरा 19] [468-एफ] 4. खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 17 की उप-धारा (1) का खंड (ए) व्यक्ति को ऐसा बनाता है

के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार होने के लिए नामित

व्यवसाय का संचालन और कंपनी दोषी होगी

अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत अपराध। इसलिए, धारा के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है।

141 एन. आई. अधिनियम और अधिनियम की धारा 17 जो कंपनी के साथ-साथ नामित व्यक्ति को अपराधों का दोषी ठहराती है और/या आगे बढ़ने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी बनाती है। तदनुसार। खंड (ए) और (बी) विकल्प में नहीं हैं लेकिन

संयुक्त। इसलिए, कंपनी की अनुपस्थिति में, नामित व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है या इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है। चूंकि कंपनी को निचली अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था, इसलिए इस अदालत ने पाया कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अपीलार्थी/नामित व्यक्ति के लिए अनुचित होगा जो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से मुकदमे का सामना कर रहा है। इसलिए, कमी को भरने के लिए निचली अदालत को रिमांड का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक उचित विकल्प नहीं है क्योंकि निचली अदालत द्वारा कंपनी को दोषी ठहराने में विफलता नामित व्यक्ति की पूरी दोषसिद्धि को अस्थिर बनाती है। [पैरा 22] [471-ए-डी]

पंजाब राज्य बनाम। मोहर सिंह एयर 1955 एससी 84: [1955] 1 एससीआर 893; तिवारी कन्हैयालाल और अन्य। वी. आयकर आयुक्त, दिल्ली (1975) 4 एस. सी. सी. 101: [1975] 3 एस. सी. आर. 927; अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 5 एससीसी 661: [2012] 5

एस. सी. आर. 503 पर भरोसा किया। आर. बनर्जी और अन्य। वी. एच. डी. दुबे और अन्य। (1992) 2 एस. सी. सी. 552 [1992] 2 एस. सी. आर. 221; नेमी चंद बनाम। राजस्थान राज्य (2018) 17 एस. सी. सी. 448; टी. बरई बनाम। हेनरी आह हो और एनर। (1983) 1 एससीसी 177: [1983] 1 एससीआर 905; त्रिलोक चंद बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) 10

एस. सी. सी. 763 संदर्भित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1992] 2 एससीआर 221

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

(2018) 17 एस. सी. सी. 448

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1983] 1 एससीआर 905

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

(2020) 10 एस. सी. सी. 763

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1955] 1 एससीआर 893

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[1975] 3 एससीआर 927

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

715 2020 से।

उच्च न्यायालय के 09.01.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 के आपराधिक संशोधन संख्या 37 में जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा।

2020 की आपराधिक अपील संख्या 716

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रिया

पुरी, वैभव श्रीवास्तव, रंजय दुबे, यति शर्मा, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, आदित्य सिंगला, हर्ष यादव, सुश्री अंकिता तिवारी, अर्जुन गर्ग, अभिजीत श्रीवास्तव, सुश्री श्रुतिका गर्ग, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपीलों में चुनौती उनके द्वारा पारित आदेश को दी गई है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने 9.1.2020 पर, जिसके तहत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 1 के अपीलार्थी/मनोनीत अधिकारी (प्रभारी) श्री निर्मल सेन द्वारा दायर संशोधन की अनुमति दी गई थी, हालांकि मामले को दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर फिर से विचार करने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया था, जहां तक यह अपीलार्थी, निर्मल सेन और कंपनी से संबंधित है। आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

" 8. यदि कंपनी-हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बरी कर दिया जाता है शुल्क, उक्त लाभ भी सीधे आवेदक को जाएगा। में।

जिस पर विचार करते हुए, यह न्यायालय एक स्पष्ट और पेटेंट दोष पाता है

विचारण न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ के निर्णय में

इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

हिंडन यूनीलिवर लिमिटेड वी। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [हेमंत गुप्ता, जे.]

इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय, इन परिसरों में, निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करना उचित समझता है -

Cr.P.C की धारा 401 (1) के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र, इसलिए, यह न्यायालय दोषसिद्धि और पारित सजा को दरकिनार करने के लिए इच्छुक है।

आवेदक के खिलाफ कंपनी का एक नामित व्यक्ति होने के कारण और कंपनी-हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड पर विचार करते हुए नया निर्णय पारित करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया कि

आवेदक के साथ पहले से ही एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

9. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस संशोधन की अनुमति है। आवेदक के खिलाफ दी गई विवादित दोषसिद्धि और सजा को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और मामला वापस निचली अदालत को भेज दिया जाता है।
दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर फिर से विचार करना और अपने दिनांकित निर्णय पर भी फिर से विचार करना, जहां तक यह आवेदक और कंपनी से संबंधित है-हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इसके बाद फिर से एक

आवेदक के साथ-साथ कंपनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अलग निर्णय-हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड

अपीलीय न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा की गई चर्चाओं के साथ पूर्वाग्रह प्राप्त करना। 2. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एक शिकायत

श्री एच. डी. दुबे, निरीक्षक, खाद्य और स्वास्थ्य द्वारा, कंपनी द्वारा निर्मित दलदा वनस्पति खजुर ब्रांड घी के संबंध में 7.2.1989 पर लिए गए नमूने के आधार पर, प्रावधानों के संदर्भ में दायर किया गया था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 2. वनस्पति घी का नमूना लिपटन इंडिया लिमिटेड के गोदाम से लिया गया था।

जिसे मिलावटी पाया गया क्योंकि पिघलने का बिंदु 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया जो सामान्य सीमा यानी 31-41 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। शुरुआत में, कंपनी के निदेशकों के साथ-साथ लिपटन इंडिया लिमिटेड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी। हालाँकि, उक्त कार्यवाही का निर्णय इस न्यायालय द्वारा आर. बनर्जी और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में किया गया। वी. एच. डी. दुबे और Ors.³ जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“ 12. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है। विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विवादित आदेश हैं -

एक तरफ रख दें। एच. दयानी और डॉ. निर्मल सेन को नामित करने वाले नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे या नहीं, इस सवाल की जांच करने के निर्देश के साथ मामले को विद्वत ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है।

2 संक्षेप में, '1954 अधिनियम'

3 3 (1992) 2 एससीसी 552 [2020] 9 एस. सी. आर.

और इसे प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए सक्षम स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह होगा सवाल

स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण वह कंपनी और कंपनी के अलावा कंपनी के निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही बंद कर देगा।
नामित व्यक्ति। यदि दूसरी ओर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निर्धारित प्रपत्र किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए थे

सक्षम स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के अलावा वह उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन्हें मामले में आरोपी के रूप में दिखाया गया है।
शिकायत अर्थात नामित व्यक्ति और कंपनी सहित सभी निदेशक। अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

3. इस न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने निदेशकों को दोषमुक्त करते हुए 6.7.1993 पर एक आदेश पारित किया।

कंपनी और अभियोजन पक्ष को अपीलार्थी निर्मल सेन के खिलाफ जारी रखने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी गई क्योंकि इसमें चार आरोपी हैं, जिनके नाम हैं, लिप्टोन इंडिया लिमिटेड, मोहम्मद। सलीम, हरीश दयानी और निर्मल सेन को आरोपी बनाया गया था। 4. इसके बाद अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 1 23.8.2006 पर लागू हुआ।

5. विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी/मनोनीत अधिकारी को 1954 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

एक्ट करें। विद्वत विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 58. कि उपरोक्त पूर्ण साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि घटना के दिन, आरोपी डॉ. निर्मल सेन हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी के एक नामांकित व्यक्ति थे और उक्त कंपनी का सामान गोदाम राठौर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी, पानागर से ताड़ के बागान तेल वनस्पति को दिया गया था। जबलपुर, मो.
सलीम। हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्ता खाद्य निरीक्षक एच. डी. दुबे को वनस्पति की बिक्री वहाँ खरीदने के लिए गई। जिस समय उक्त उत्पाद बेचा गया था, उस समय मिलावट प्रकाश में आई थी, और नियम 32 (च) के अनुसार

4 संक्षेप में, '2006 अधिनियम' हिंदूस्तान यूनीलिवर लिमिटेड v.

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [हेमंत गुप्ता, जे.]

अधिनियम, विवरण को विधिवत चिह्नित भी नहीं किया गया था, जो इसके तहत आता है

पैकेट या थैली के प्रिंट में गलत छाप की श्रेणी।

XX

XX

X

X

60. इसलिए आरोपी डॉ. निर्मल सेन को दोषी पाया गया।

खाद्य मिलावट अधिनियम, 1954 की धारा 2 (1 जी) (के) आर/डब्ल्यू धारा 32 (एफ)/7 (आई)/16 (ए) (आई) और धारा 2 (आई. ए.) आर/डब्ल्यू 7 (आई)/16 (1)/(ए) (आई) और खाद्य मिलावट और रोकथाम अधिनियम की धारा 14 आर/डब्ल्यू नियम के तहत।

2 (ए) आर/डब्ल्यू धारा 7 (वी)/16 (1 सी)। "

6. निचली अदालत द्वारा पारित आदेश का पूरा अध्ययन करता है

इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि परीक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त निर्णय में, विद्वत निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी-कंपनी को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। अपीलार्थी निर्मल सेन ने कार्यवाही का विरोध किया और निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया।

7. उक्त फैसले के खिलाफ एक अपील में, विद्वान अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि राठौर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी और कंपनी के खिलाफ अभियोजन बनाए रखने योग्य पाया गया था, लेकिन विवादित फैसले और आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 31. ..... दिनांक 6.7.1993 के आदेश के अनुसार, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड

यह भी आरोपित किया गया है, लेकिन गलती से, यह नहीं हो सकता था

विवादित निर्णय और आदेश में उल्लेख किया गया है। कानून के अनुसार,

कोई भी कंपनी एक कानूनी व्यक्तित्व है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है

कारावास की सजा। अपीलार्थी निर्मल सेन उपरोक्त कंपनी के अपराध के लिए नामित किया गया है

दंडित किया। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि

केवल तकनीकी आधार पर कोई भी लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस पर भरोसा रखा

इस न्यायालय के निर्णय को नेमी चंद बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। राजस्थान राज्य 3 विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष, इस तर्क के समर्थन में कि अधिनियम के निरसन के अनुसार, केवल जुर्माने की सजा दी गई है।

2006 के अधिनियम के तहत विचार किया गया। इस प्रकार, चूंकि 2006 के अधिनियम के प्रावधान अभियुक्त के लिए फायदेमंद हैं, इसलिए अभियुक्त 2006 के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए ऐसे लाभों का हकदार है। यह पाया गया कि नेमी चंद में निर्णय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है

(2018) 17 एससीसी 448 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संवैधानिक न्यायालय, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास ऐसी कोई विशिष्ट संवैधानिक शक्ति नहीं है। न्यायालय ने 2006 के अधिनियम की प्रयोज्यता को खारिज कर दिया क्योंकि निरस्त अधिनियम के तहत लगाए गए दंड को 2006 के अधिनियम की धारा 97 द्वारा सुरक्षित रखा गया है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 39. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्योत्तर कानूनों द्वारा किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप, यदि किसी अपराध के लिए दी गई सजा को कम या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आरोपी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत इसका लाभ प्राप्त करने का हकदार है। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी पर मुकदमा चलाया गया है और उसके तहत सजा सुनाई गई है " विचाराधीन मामले में 1954 का अधिनियम "और इसके स्थान पर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को 24.08.2006 के बाद से लागू किया गया है। इस नए अधिनियम की धारा 97 (1) द्वारा 1954 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन यह भी प्रावधान किया गया है कि निरस्त अधिनियम और ऐसे किसी भी अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रखी जा सकती है।

जुर्माना, ज़ब्त या सजा इस तरह से लगाई जा सकती है कि

मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया जाए।

40. इस प्रकार, नए अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले हुए अपराध के संबंध में, 1954 के "अधिनियम" के प्रावधान लागू होते हैं और यह नहीं माना जा सकता है कि नए अधिनियम द्वारा पुराने अधिनियम की धारा 16 के तहत अपराध में संशोधन करके सजा को कम किया गया है। अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला एल. डी. के समक्ष कई वर्षों से लंबित है। ट्रायल कोर्ट लेकिन आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत कई स्टे भी हैं

इस देरी के लिए जिम्मेदार और इस आधार पर, वे किसी भी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, एल. डी. द्वारा अपीलार्थी निर्मल सेन को दी गई सजा। मामले में अधीनस्थ न्यायालय कानून के अनुसार और उचित प्रतीत होता है और इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

9. उपरोक्त चर्चा के साथ, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी/नामित अधिकारी की दोषसिद्धि की पुष्टि की लेकिन

अभियुक्त हरीश दयानी और मोहम्मद की दोषसिद्धि। सलीम को अलग कर दिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया।

10. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि कंपनी को आरोपों से बरी कर दिया जाता है, तो उक्त लाभ भी सीधे कंपनी को जाएगा।

अपीलार्थी/मनोनीत अधिकारी। निचली अदालत के फैसले के साथ-साथ अपीलीय अदालत के फैसले में एक स्पष्ट और पेटेंट दोष हिंदूस्तान यूनीलिवर लिमिटेड v था।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [हेमंत गुप्ता, जे.]

उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया। इस प्रकार, कंपनी का नामित व्यक्ति होने के नाते, अपीलार्थी के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया और मामले को नया निर्णय पारित करने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया। 11. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकीलों द्वारा दो तरह की दलीलें दी गईं। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अपीलार्थी/मनोनीत अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील

तर्क दिया कि अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा 7 (i) के साथ पठित धारा 2 (ia) (m) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस तरह के उल्लंघन के लिए कम से कम छह महीने और 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 1,000 / - धारा 16 (1) (ए) (आई) के तहत, जबकि 2006 के अधिनियम के तहत, ऐसी मिलावट की सजा जो केवल उच्च पिघलने बिंदु से संबंधित है, 5 रुपये का जुर्माना है।

धारा 3 (1) (जेडएक्स) और 3 (1) (आई) के तहत क्रमशः लाख और 1 लाख रुपये।

टी. बरई बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है। हेनरी आह् हो & Anr.6, नेमी चंद और त्रिलोक चंद बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य '।

12. अपीलकर्ता कंपनी के वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि कंपनी को दोषी नहीं ठहराया गया था

अदालत की सुनवाई। इसलिए, पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय पुनः विचारण का आदेश पारित नहीं कर सकता था, विशेष रूप से तब जब कंपनी को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। चूँकि निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि का कोई आदेश नहीं था, और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था, इसलिए ऐसा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 19738 की धारा 401 की उप-धारा (2) का उल्लंघन है। संहिता की धारा 401 (2) इस प्रकार हैः

" 401 (2) . इस धारा के तहत अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कोई अवसर न मिला हो।

अपने बचाव में या तो व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा सुना जाना।

13. हम डॉ. सिंघवी द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

2006 के अधिनियम के तहत दी गई सजा के संबंध में। टी. बरई में इस न्यायालय का निर्णय अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप है जब संसद द्वारा धारा 16 ए को जोड़ा गया था। इसी तरह, नेमी चंद में निर्णय केवल अधिनियम में संशोधन से उत्पन्न एक निर्णय था। अधिनियम में संशोधन का लाभ, अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न अपील में अभियुक्त को उचित रूप से प्रदान किया गया है।

6 (1983) 1 एस. सी. सी. 177 7 2010 की आपराधिक अपील संख्या 1831 ने 1.10.2019 8 पर निर्णय लिया संक्षेप में, 'कोड' [2020] 9 एस. सी. आर.

वर्तमान मामले में, अधिनियम की धारा 97 द्वारा अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, हालांकि, अधिनियम के तहत लगाए गए दंड को समाप्त कर दिया गया है। 2006 के अधिनियम की धारा 97, जो 5.8.2011 पर लागू हुई,

निम्नलिखित हैः

" 97. रद्द करें और बचत करें। (1) ऐसी तारीख से प्रभावी *

केंद्र सरकार इस संबंध में नियुक्ति कर सकती है, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियम और आदेश निरस्त हो जाएंगेः

बशर्ते कि इस तरह के निरसन से निम्नलिखित प्रभावित नहीं होंगेः

((ख) निरसन के अधीन किसी अधिनियम या आदेश के अधीन अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व; या ((ग) अधिनियम और निरसन के अधीन आदेशों के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किया गया कोई दंड, ज़ब्त या सजा; या

((iv) ऐसे किसी दंड, ज़ब्त या दंड के संबंध में कोई जांच या उपाय,

और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा लगाई जा सकती है, जैसे कि इस अधिनियम में

पारित नहीं किया गयाः (2) यदि इस अधिनियम के अनुरूप किसी राज्य में तत्काल प्रभाव से कोई अन्य कानून लागू है, तो वह इस पर लागू होगा -

इस अधिनियम का प्रारंभ निरस्त हो जाता है और ऐसे मामले में, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि राज्य कानून के ऐसे प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया हो। (3) उपरोक्त अधिनियम और आदेशों के निरसन के बावजूद, ऐसे किसी भी अधिनियम या आदेश के तहत जारी किए गए लाइसेंस, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से लागू हैं, सभी उद्देश्यों के लिए उनकी समाप्ति की तारीख तक लागू रहेंगे, जैसे कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे।

अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम।

(4) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी अदालत इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद निरस्त अधिनियम या आदेशों के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

(जोर दिया गया)

14. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 में निरसन का प्रभाव निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः

" जहां यह अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन अब तक किए गए या इसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, तब, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो,

निरसन नहीं होगा

(ई) ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, जुर्माना, ज़ब्त के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है। या सजा।

और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा इस तरह से लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या

विनियमन पारित नहीं किया गया था।

15. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के संदर्भ में, जब तक कि अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, किसी क़ानून का निरसन किसी भी कानून को प्रभावित नहीं करता है।

ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त या सजा और ऐसे किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय के संबंध में जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था। लेकिन 2006 के अधिनियम में, धारा 97 (1) (iii) और (iv) में निहित निरसन और बचत खंड विशेष रूप से प्रदान करता है कि अधिनियम का निरसन किसी भी ऐसे दंड, ज़ब्त या ज़ब्त के संबंध में किसी भी जांच या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा। सजा और सजा दी जा सकती है, "जैसे कि 2006 का अधिनियम पारित नहीं किया गया था।" यह सवाल उठाया गया है कि क्या निरस्त प्रावधानों के तहत जुर्माना या अभियोजन जारी रखा जा सकता है या शुरू किया जा सकता है।

पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा जांच की गई। मोहर सिंह ', जिसमें इस न्यायालय ने सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 की जांच की जो इंग्लैंड के व्याख्या अधिनियम की धारा 38 (2) के अनुरूप है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 6. इंग्लैंड के कानून के तहत, जैसा कि यह 1889 के व्याख्या अधिनियम से पहले था, एक क़ानून को निरस्त करने के प्रभाव को संसद के रिकॉर्ड से पूरी तरह से मिटाने के लिए कहा गया था, जैसे कि इसे कभी भी पारित नहीं किया गया था, सिवाय उन कार्यों के उद्देश्य के, जिन्हें शुरू किया गया था, मुकदमा चलाया गया था और निष्कर्ष निकाला गया था, जबकि यह एक मौजूदा कानून था। 323] . इसलिए किसी भी बचत खंड के बिना निरसन किसी भी खंड को नष्ट कर देगा। कार्यवाही चाहे अभी तक शुरू नहीं हुई हो या क्या निरसन अधिनियम के अधिनियमन के समय लंबित है और पहले से ही एक अंतिम निर्णय के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है ताकि एक निहित अधिकार का निर्माण किया जा सके [वैधानिक निर्माण पर क्रॉफर्ड, पी। 599-600 डब्ल्यू]। इस तरह के परिणामों को रोकने के लिए इंग्लैंड में निरस्त कानून में एक बचत खंड डालने की प्रथा अस्तित्व में आई, ताकि निरस्त अधिनियम के तहत पहले से अर्जित या उपार्जित अधिकारों और देनदारियों को संरक्षित किया जा सके। बाद में, प्रत्येक अवसर पर एक बचत खंड डालने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, धारा 38 (2) को 1889 के व्याख्या अधिनियम में जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक निरसन, जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो, निरस्त अधिनियम के पिछले संचालन या इसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित कुछ भी और किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करता है।

निरस्त अधिनियम के तहत किसी भी अधिकार, दायित्व और दंड के संबंध में स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है जैसे कि निरसन अधिनियम पारित नहीं किया गया था। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6, जैसा कि सर्वविदित है, इंग्लैंड के व्याख्या अधिनियम की धारा 38 (2) के समान है। 9. प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अपराध में एक झूठा दावा दायर करना शामिल था। दावा अध्यादेश की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार और अध्यादेश की धारा 7 के तहत दायर किया गया था।

अध्यादेश, किसी दावे के संबंध में कोई भी गलत जानकारी एक दंडनीय अपराध था। उच्च न्यायालय निश्चित रूप से यह अभिनिर्धारित करने में सही है कि अधिनियम की धारा 11 अध्यादेश के तहत दायर दावे को अधिनियम के तहत दावा नहीं बनाती है ताकि धारा 7 के संचालन को आकर्षित किया जा सके। अधिनियम की धारा 11 निम्नलिखित शब्दों में है:

" 1948 का पूर्वी पंजाब शरणार्थी (भूमि दावों का पंजीकरण) अध्यादेश 7 एतद्वारा निरस्त किया जाता है और कोई भी नियम बनाए जाते हैं, जारी की गई अधिसूचनाएँ, कुछ भी किया गया, उक्त अध्यादेश द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई भी कार्रवाई

ऐसा माना जाए कि अभ्यास में बनाया गया है, जारी किया गया है, किया गया है या लिया गया है।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [हेमंत गुप्ता, जे.]

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के बारे में जैसे कि इस अधिनियम ने यह 3 मार्च, 1948 को लागू हुआ।

. दावे की सच्चाई या झूठ होना चाहिए

सामान्य तरीके से जांच की गई और यदि यह पाया जाता है कि

दावेदार द्वारा दी गई जानकारी गलत है, वह निश्चित रूप से हो सकता है

धारा 7 और 8 में निर्धारित तरीके से दंडित किया गया

एक्ट करें। यदि हम यह मानते हैं कि दंडात्मक प्रावधानों में निहित है

अधिनियम के तहत दायर दावे के मामले में आकर्षित नहीं किया जा सकता है

अध्यादेश, परिणाम विसंगत होंगे और भले ही

अधिनियम की धारा 8 के तहत। हम सोचते हैं कि के प्रावधान धारा 47 और 8 यह स्पष्ट करती हैं कि यह इरादा नहीं था

विधानमंडल के अधिकार और देनदारियाँ

अध्यादेश के तहत दायर किए गए दावों को समाप्त कर दिया जाएगा

अधिनियम का पारित होना, और यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान मामला धारा 6 के संचालन को आकर्षित करेगा

सामान्य खंड अधिनियम। यह इंगित किया जा सकता है कि की धारा 11

अधिनियम कुछ हद तक अनाड़ी शब्द है और यह नहीं बनाता है

अभिव्यक्तियों का उपयोग जो आम तौर पर खंडों को सहेजने में उपयोग किए जाते हैं कानूनों को निरस्त करने के लिए जोड़ा गया; लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है

हमारे विचार के लिए बिंदु यह है कि क्या अधिनियम एक

इरादा जो अधिकारों की निरंतरता के साथ असंगत है

और अध्यादेश के तहत उपार्जित या उपार्जित देनदारियाँ और हमारी राय है कि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

16. एक अन्य फैसले में तिवारी कन्हैयालाल और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया।

आय कर आयुक्त, दिल्ली, आकलन थे

आयकर अधिनियम लागू होने के बाद आयकर अधिनियम, 1922 के तहत याचिका दायर की गई। निर्धारिती के परिसरों में तलाशी ली गई।

आयकर अधिनियम, 1961 के आने के बाद संशोधित विवरणी दाखिल की गई थी। बल देते हैं। जुर्माने की कार्यवाही शुरू की गई और इसे इसके तहत लगाया गया था

961 एक्ट करें। बाद में, आयोग का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज की गईं

1961 अधिनियम की धारा 277 के तहत अपराध। शिकायतों का एक और समूह

आयकर अधिनियम, 1922 के तहत दायर किया गया। इस न्यायालय ने कहा कि

1922 के अधिनियम के तहत मैदान अप्रभावित रहते हैं। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 7. यह सलाह दी जाती है कि एक नए मुद्दे पर चर्चा की जाए और उसका निपटारा किया जाए।

इन अपीलों की सुनवाई के दौरान उत्पन्न हुआ। की उप-धारा (1)

1961 के अधिनियम की धारा 297 ने धारा 52 सहित 1922 के अधिनियम को निरस्त कर दिया। उप-धारा (2) में 1922 के अधिनियम की निरस्त धारा 52 के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कोई बचत का प्रावधान नहीं किया गया है। अपराधों को 1961 के अधिनियम की धारा 277 के तहत लाने के लिए धारा 297 (2) के खंड (एच) का सहारा लेना सही नहीं लगता है, जैसा कि अधिनियम द्वारा किया गया था।

पहली 12 शिकायत याचिकाओं में प्रतिवादी। लेकिन फिर उप-धारा (2) के तहत किसी भी खंड से इस संबंध में एक अलग इरादा दिखाई देता है जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है। तथ्यों पर आरोप लगाया गया है कि आपराधिक दायित्व के तहत

1922 के अधिनियम की धारा 52 खंड (ग) के तहत अप्रभावित है।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 "।

17. इस प्रकार, 2006 के अधिनियम की धारा 97 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी।

अधिनियम के तहत जारी रखें। 2006 के अधिनियम के तहत कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अधिनियम के तहत अभियोजन और सजा संरक्षित है।

18. त्रिलोक चंद में इस न्यायालय का निर्णय एकमात्र निर्णय है जिसने 2006 के अधिनियम का लाभ दिया है और 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाकर सजा सुनाई गई थी। न्यायालय का ध्यान

2006 के अधिनियम की धारा 97 की ओर नहीं खींचा गया था, जो निरस्त अधिनियम के तहत दिए गए दंड की रक्षा करती है। इसलिए त्रिलोक चंद का आदेश अपने तथ्यों पर आधारित है।

19. हालाँकि, हम श्री लूथरा के तर्क में योग्यता पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को रिमांड का आदेश

कंपनी को इस कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि इस तरह का आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था, जैसा कि संहिता की धारा 401 (2) के तहत विचार किया गया है। इस प्रकार सवाल अब इस बात को कम करता है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा 30 साल से अधिक समय के बाद मामले को निचली अदालत में भेजने के लिए अपनाया गया तरीका, जो मुकदमे की जड़ तक जाता है, हालांकि कानून में अनुमेय है, उचित है। 20. अनीता हाडा बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड "1 ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 1 2 की धारा 138 के तहत और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कार्यवाही में कंपनी की अनुपस्थिति में निदेशकों को दोषी ठहराए जाने के सवाल पर विचार किया। यह

51 (2012) 5 एस. सी. सी. 661

12 संक्षेप में, 'एन. आई. अधिनियम' हिंदूस्तान यूनीलिवर लिमिटेड v. द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [हेमंत गुप्ता, जे.]

टी ने अभिनिर्धारित किया कि एन. आई. अधिनियम की धारा 141 द्वारा अपराधों से संबंधित है

अनीस इस बात पर विचार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय

प्रतिबद्ध था, प्रभारी था, और कंपनी के लिए जिम्मेदार था

कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय का संचालन,

अपराध का दोषी माना जाएगा और उत्तरदायी होगा

उनके खिलाफ कार्रवाई की और तदनुसार दंडित किया। यह न्यायालय, विचार कर रहा है

आई. डी. प्रावधान, निम्नानुसार धारितः

यह पता लगाना अदालत का बाध्यकारी कर्तव्य है किस उद्देश्य के लिए कानूनी कल्पना बनाई गई है। यह भी है

अदालत का कर्तव्य है कि वह सभी वास्तविक परिणामों के साथ कल्पना की कल्पना करे और मामले जब तक ऐसा करने से निषिद्ध नहीं हैं। इसके अलावा, उपयोग

"मानित" शब्द को इसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और आगे,

पूर्ण तार्किक उद्देश्य और महत्व को समझना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि

आधुनिक विधान में, "मानित" शब्द का उपयोग किया गया है

कई उद्देश्यों के लिए। विधायिका के उद्देश्य को रखा जाना चाहिए

दिमाग।

XX

XX

XX

56. हमने उपरोक्त परिच्छेदों का उल्लेख केवल उजागर करने के लिए किया है

कि संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए

विधायी इरादे के लिए किया जा रहा है क्योंकि यह दंड से संबंधित है

अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रावधान और जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

व्यक्तियों का, चाहे वे न्यायिक निकाय हों या व्यक्ति, जब तक कि वे

अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि की शक्ति

सजा विधायिका में निहित है और वह धारा में निरपेक्ष है।

141 अधिनियम जो स्पष्ट रूप से अपराध करने की बात करता है

कंपनी ने। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने जोरदार आग्रह किया कि "के साथ-साथ" शब्द का उपयोग

इस खंड का बहुत महत्व है और यह अपने प्रभाव में लाता है।

कंपनी के साथ-साथ निदेशक और/या अन्य अधिकारी जो

कंपनी के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए,

यदि कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं किया गया है। शब्द "के रूप में जैसा कि "संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

XX

XX

XX

58. सख्त निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, हम हैं

माना जाता है कि कंपनी द्वारा किया गया अपराध [2020] 9 एस. सी. आर. है।

दूसरों के प्रत्यावर्ती दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट शर्त पूर्ववर्ती। इस प्रकार, "कंपनी के साथ-साथ" शब्द दिखाई देते हैं

धारा यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो केवल अन्य श्रेणियों में उल्लिखित व्यक्ति ही याचिका में किए गए अभिकथनों और उसके प्रमाण के अधीन अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है।

21. अधिनियम की धारा 17 निम्नानुसार हैः " 17. कंपनियों द्वारा अपराध-(1) जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है।

(क) (i) वह व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे उप-धारा (2) के तहत कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार होने के लिए नामित किया गया है।

जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में संदर्भित धारा), या

((ख) जहां किसी व्यक्ति को इस प्रकार नामित नहीं किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।

कंपनी; और

((ख) कंपनी,

अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा, यदि वह

यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया।

(2) ****

** :

" " हिंडन यूनीलिवर लिमिटेड वी। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [हेमंत गुप्ता, जे.]

22. अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) का खंड (ए) नामित व्यक्ति को कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार बनाता है।

व्यवसाय के संचालन के लिए और कंपनी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत अपराधों की दोषी होगी। इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है और

अधिनियम की धारा 17 जो कंपनी के साथ-साथ नामित व्यक्ति को अपराधों का दोषी ठहराती है और/या कार्यवाही के लिए उत्तरदायी और तदनुसार दंडित करती है। खंड (ए) और (बी) विकल्प में नहीं बल्कि संयुक्त हैं। इसलिए, कंपनी की अनुपस्थिति में, नामित व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है या इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है। चूँकि कंपनी को निचली अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था, इसलिए हम पाते हैं कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अपीलार्थी/नामित व्यक्ति के लिए अनुचित होगा जो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से मुकदमे का सामना कर रहा है। इसलिए, कमी को भरने के लिए निचली अदालत को रिमांड का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक उचित विकल्प नहीं है क्योंकि निचली अदालत द्वारा कंपनी को दोषी ठहराने में विफलता नामित व्यक्ति की पूरी दोषसिद्धि को इस प्रकार प्रस्तुत करती है -

अस्थिर।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप शिकायत यह है कि

बर्खास्त कर दिया।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान